A052-20222023-001-1686081

संख्या-33/2023/56/52-1-2023-1686081

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2023**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की प्रथम/द्वितीय किश्त की आंशिक/अवशेष **राज्यांश की धनराशि अवमुक्त** किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4572/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग-(330/3)/2022 दिनांक 13.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजना की प्रथम/द्वितीय किश्त की आंशिक/अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित परियोजनाओं की निम्न तालिका के कॉलम-4 में अंकित भारत सरकार के पत्र द्वारा अवमुक्त प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि कॉलम-8 में उल्लिखित विवरणानुसार (शासनादेश सहित) पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की कॉलम-10 में अंकित प्रथम/द्वितीय किश्त की आंशिक/अवशेष **राज्यांश की धनराशि रू0 1376.405 लाख (रूपये तेरह करोड़ छिहत्तर लाख चालीस हजार पॉच सौ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के विभिन्न लेखाशीर्षकों (कॉलम-12) में उपलब्ध बजट (कॉलम-11) के सापेक्ष अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:

http://shasanadesh.up.gov.in

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	परियोजना का नाम	भारत सरकार का पत्र सं0 व दिनांक प्रथम/द्वितीय किश्त	कार्यदायी संस्था	यूनिट	इकाई लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि/शासनादेश	प्रस्तावित प्रथम/द्वितीय किश्त केन्द्रांश	प्रस्तावित प्रथम/द्वितीय किश्त राज्यांश	राज्यांश हेतु उपलब्ध बजट	लेखाशीर्षक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bijnor	**जनपद बिजनौर में जलीलपुर चांदपुर जहांगीर मझरा ज्ञानपुर में राजकीय महिला आई0टी0आई0 का निर्माण**	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 (प्रथम किश्त)	**UPRNSS**	1	1260.00 (के0 756.00+रा0 504.00)	के0-109.13 शा0-13/369//2019-08(पी0एम0जे0वी0के0)/19 दिनांक 08.03.2019 के0-189.00 शा0-55/876/2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 15.07.2021 रा0-126.00 शा0-03/04/2023-1673408 दिनांक 05.01.2023	0.00	126.000	1117.61	4235-02-800-89-8905
2	मेरठ	**वि0ख0 खरखौंदा के आई0टी0आई0 का आधुनिकीकरण (माडर्नाइजेशन)**	**13/86/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 30.12.2019 (प्रथम किश्त)**	**UPRNSS**	1	518.82 (के0 311.292 + रा0 207.528)	के0-155.646 रा0-103.764 शा0-17/136/2020-06(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 20.02.2020 (समर्पित रू0 69.18)	0.000	69.180	1117.61	4235-02-800-89-8905
3	Lakhimpur Kheri	**फूल बेहड़ में राजकीय महिला आई0टी0आई0 का निर्माण**	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 (प्रथम किश्त)	**UPRNSS**	1	1260.00 (के0 756.00+रा0 504.00)	के0-109.13 शा0-13/369//2019-08(पी0एम0जे0वी0के0)/19 दिनांक 08.03.2019 के0-189.00 शा0-55/876/2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 15.07.2021 के0-79.87 शा0-101/1198/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 12.12.2022 रा0-126.00 शा0-100/1197/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20	0.000	126.000	1117.61	4235-02-800-89-8905

http://shasanadesh.up.gov.in

							दिनांक 12.12.2022				
4	बलरामपुर	**जनपद बलरामपुर में ग्राम-बन्जरिया गैडास बुजुर्ग में राजकीय महिला आई0टी0आई का निर्माण का कार्य**	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 (प्रथम किश्त)	**UPRNSS**	1	1260.00 (के0 756.00+रा0 504.00)	के0-327.39 शा0-13/369//2019-08(पी0एम0जे0वी0के0)/19 दिनांक 08.03.2019 के0-567.00 रा0-378.00 शा0-47/638/2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 31.03.2021 (समर्पित धनराशि रू0 567.00 + 378.00)	0.000	126.000	1117.61	4235-02-800-89-8905
5	तदैव	**जनपद बलरामपुर में ग्राम-देवरी खेरा रेहरा बाजार में राजकीय महिला आई0टी0आई का निर्माण**	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 (प्रथम किश्त)	**UPRNSS**	1	1260.00 (के0 756.00+रा0 504.00)	के0-567.00 शा0-55/876/2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 15.07.2021	0.000	126.000	1117.61	4235-02-800-89-8905
6	तदैव	**जनपद बलरामपुर में ग्राम-लैबुडवा लखौरा हरैया सतघरवा में राजकीय महिला आई0टी0आई का निर्माण**	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 (प्रथम किश्त)	**UPRNSS**	1	1260.00 (के0 756.00+रा0 504.00)	के0-239.61 शा0-101/1198/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 12.12.2022 रा0-378.00 शा0-100/1197/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 12.12.2022	0.000	126.000	1117.61	4235-02-800-89-8905
7	सहारनपुर	**राजकीय आई0टी0आई0 गंगोह**	13/22/2020-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 30.03.2020 (प्रथम किश्त	**Projects Corp.**	1	1052.30 (के0 631.38+रा0 420.92)	के0-157.845 रा0-105.23 शा0-48/639/2021-27(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 31.03.2021 समर्पित धनराशि रू0 के0-157.845+ रा0-105.23 पुन: के0-157.845 शा0-77/1332/2021-27(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 21.09.2021 रा0-105.23 शा0-02/03/2023-1673359 दिनांक 05.01.2023	0.00	105.230	1117.61	4235-02-800-89-8905

http://shasanadesh.up.gov.in

8	Gazipur	**भदोरा में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण**	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 (प्रथम किश्त)	**Projects Corp.**	1	1260.00 (के0 756.00+रा0 504.00)	के0-109.13 शा0-13/369//2019-08(पी0एम0जे0वी0के0)/19 दिनांक 08.03.2019 के0-189.00 रा0-126.00 शा0-47/638/2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 31.03.2021 (समर्पित धनराशि रू0 126.00 के0-79.87 शा0-101/1198/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 12.12.2022 पुन: रा0-126.00 शा0-100/1197/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 12.12.2022	0.000	126.000	1117.61	4235-02-800-89-8905
9	Gonda	**बभनजोत में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण**	13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 (प्रथम किश्त)	**Projects Corp.**	1	1260.00 (के0 756.00+रा0 504.00)	के0-109.13 शा0-13/369/2019-08(पी0एम0जे0वी0के0)/19 दिनांक 08.03.2019 के0-189.00 रा0-126.00 शा0-47/638/2021-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 31.03.2021 (समर्पित धनराशि रू0 126.00 के0-79.87 शा0-101/1198/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 12.12.2022 पुन: रा0-126.00	0.000	126.000	1117.61	4235-02-800-89-8905

http://shasanadesh.up.gov.in

							शा0-100/1197/2022-20(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 12.12.2022				
10	कासगंज/एटा	**विकास खण्ड गंजदुनद्वारा के अपर प्राइमरी स्कूल का हाई स्कूल में उच्चीकरण मऊ कादरगंज चैक कादरगंज एवं रसूलपुर अरौरा तथा घवरा एवं पचपोखरा)**	13/40/2018-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 26.03.2018 (द्वितीय किश्त)	**C&DS**	6	348.72 (के0 261.54+रा0 87.18)	के0-130.77 रा0-43.59 शा0-जी0आई0-75/14-01(111)/13 दिनांक 20.02.2014 (प्रथम किश्त) के0-87.18 रा0-29.06 शा0-68/1106/2018-01(111)/13 दिनांक 11.06.2018 (द्वितीय किश्त)	0.00	14.530	106.66	4235-02-800-89-8908
11	प्रतापगढ	**राजकीय पालेटेक्निक गाबी महुआवन के कटईया नेवादा में**	13/69/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 29.11.2019 (प्रथम किश्त)	**Awash Vikas**	1	2942.90 (के0 1765.74+रा0 1177.16)	के0-120.00 रा0-80.00 शा0-87/1620/2020-05(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 28.12.2020 के0-321.435 रा0-214.29 शा0-46/636/2021-05(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 31.03.2021 के0-441.435 शा0-99/1605/2021-05(पी0एम0जे0वी0के0)/20 टी0सी0 दिनांक 30.12.2021	0.00	294.29	515.80	4235-02-800-89-8911
12	हरदोई	टाउन शाहाबाद के शाहाबाद में 100 बेडड बालिका छात्रावास का निर्माण	3/19(28)/13 पी0पी0 (पी0टी0) दिनांक 13.02.2019 (द्वितीय किश्त)	C&DS	1	205.88 (के0 123.53+रा0 82.35)	के0-61.76 रा0-41.175 शा0-2298/2016-01(109)/13 दिनांक 17.08.2016 (प्रथम किश्त) के0-61.76 शा0-119/1237/2022-01(109)/13 दिनांक 19.12.2022 रा0-30.00	0.000	11.175	56.45	4235-02-800-89-8915

http://shasanadesh.up.gov.in

							शा0-118/1236/2022-01(109)/13 दिनांक 19.12.2022 (द्वितीय किश्त)				
योग									**1376.405**		

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) उपरोक्त तालिका के कॉलम-8 में अंकित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(15) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(16) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(19) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(21) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(22)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 07.06.2022** एवं **04.11.2022** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(23)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(24)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(25)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-कॉलम-12 में उल्लिाखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-**E-423-4-X-2022-23 दिनांक: 27-01-2023** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

संख्या-56(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in